0809061

पत्रसं0--आं0सं0-(16 / 7) सामान्यपरिपत्र-/2007-08/ 524

कम्प्यूटर परिपत्र सं0- / दि0 12.9.08
/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तरप्रदेश
(आन्तरिक सम्परीक्षा अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक :: सितम्बर 12 ,2008

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1) वाणिज्य कर, उ0प्र0,
2-समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (कार्पोरेट सेल) / (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उ0प्र0,

शासनादेश सं0-क0नि0-4-1078 / 11-2008-400 (35) / 91 दिनांक 10.6.2008 द्वारा वाणिज्य कर विभाग में 14 एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर जोन के स्थान पर 20 एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर जोन की स्थापना की गयी है, जिसमें लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर एवं वाराणसी में एक जोन के स्थान पर दो जोन तथा फैजाबाद एवं इटावा में नये जोन बनाये गये है। मुख्यालय के परिपत्र संख्या -प0सं0--आं0सं0-(16 / 7) सामान्य परिपत्र-/2007-08/ 1357 / वाणिज्य कर, दिनांक 17.3.2008 द्वारा आन्तरिक सम्परीक्षा की आपत्तियों के निस्तारण हेतु समिति / उपसमिति के समक्ष अपने-अपने जोन से सम्बन्धित आडिट प्रस्तरों के अनुपालन प्रस्तुत करने हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये थे। वाणिज्य कर विभाग में अब 14 के स्थान पर 20 जोन सृजित होने के फलस्वरुप उक्त परिपत्र 1357 दिनांक 17.3.2008 के प्रस्तर संख्या-6 का संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। अत: प्रस्तर-6 का संशोधन निम्नवत् किया जाता है :-

"**प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह में आगरा, झॉसी, सहारनपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी प्रथम व वाराणसी द्वितीय जोन, द्वितीय माह में अलीगढ़, इटावा, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद व मेरठ जोन, तृतीय माह में लखनऊ प्रथम, लखनऊ द्वितीय, कानपुर प्रथम, कानपुर द्वितीय, गाजियाबाद प्रथम, गाजियाबाद द्वितीय व नोयडा जोन** के प्रस्तर उपसमिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे। सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर उक्त निर्धारित माह की 05 तारीख तक अपने जोन की उक्त प्रकार से तैयार बुकलेट उपसमिति / समिति के सदस्य - सचिव (वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी) को प्रेषित करेंगे। सदस्य-सचिव द्वारा उपसमिति की बैठक प्रत्येक माह 10 से 15 तारीख के मध्य (यथासम्भव विभाग की मासिक बैठक के साथ) नियत कराई जाये, जिसमें सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर अपने जोन के प्रस्तरों को निस्तारण हेतु प्रस्तुत करेंगे। बैठक में हुए निर्णय का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा निर्गत कराया जायेगा।"

2. पूर्व में निर्गत मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आं0स0 (16 / 7) सामान्य परिपत्र -2007-08 / 1357 / वाणिज्य कर, दिनांक 17.3.2008 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(वी0के0एल0श्रीवास्तव)
एडीशनल कमिश्नर(लेखा)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव,वित्त (राज्य आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2 / 4 ,उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उ0प्र0 510/217, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, स्टेट इंटरनल आडिट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. समस्त एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय , लखनऊ
7. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
8. ज्वाइण्ट कमिश्नर (बाह्य आडिट) वाणिज्य कर, मुख्यालय, उ0प्र0।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

----2

10. समस्त वरिष्ठ लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षक, व्यापार कर मुख्यालय एवं कार्यालय जोनल एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1) वाणिज्य कर,उ0प्र0 एवं बाह्य सम्परीक्षा अनुभाग मुख्यालय ।
11. मैनुअल अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
12. कम्प्यूटर अनुभाग, व्यापार कर, मुख्यालय।
13. श्री मनीष शर्मा, लॉ एण्ड मैनेजमेंन्ट हाउस, आर-15/5, राजनगर, गाजियाबाद।
14 श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद।

(वी0के0एल0श्रीवास्तव)
एडीशनल कमिश्नर(लेखा)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।